न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/5/2021	18–03–2021	21–09–2021

1–कालू पुत्र जुम्मी पुत्री मंगली जाति फकीर।
2–सम्मन पुत्र जुम्मी पुत्री मंगली जाति फकीर।
3–मम्मन पुत्र जुम्मी पुत्री मंगली जाति फकीर।
4–डल्लो पुत्री स्व0मंगली जाति फकीर।
5–बत्तो पत्नी स्व0गणपत पुत्रवधु स्व0मंगली कौम फकीर।
6–पप्पू पुत्र स्व0गणपत पौत्र स्व0मंगली जाति फकीर।
7–कमरू पुत्र स्व0गणपत पौत्र स्व0मंगली जाति फकीर।
8–रहीसन बेवा इसला पुत्रवधु स्व0गणपत पौत्रवधू स्व0मंगली जाति फकीर।
9–वसीम पुत्र इसला पौत्र स्व0गणपत प्रप्रौत्र स्व0मंगली जाति फकीर
10–नासीर पुत्र स्व0इसला पुत्रवधु स्व0गणपत पौत्रवधु स्व0मंगली जाति फकीर।
11–काली पुत्र स्व0गणपत पौत्र स्व0मंगली जाति फकीर।
12–रेशम पुत्री स्व.गणपत पौत्री स्व0मंगली जाति फकीर
13–कल्ली पुत्री स्व0गणपत पौत्री स्व0मंगली जाति फकीर निवासीयान ग्राम मालाखेडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1–भूरेखां पुत्र मामला उर्फ मंगला जाति फकीर निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री शैलेन्द्र भार्गव –वकील प्रार्थी
02. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी भूरेखां बनाम कालू को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई।

बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अप्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी के बारे में एक वाद सन् 2012 में न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां दायर किया था। उक्त वाद में प्रार्थना पत्र 212 राज0का0अधि0न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.09.2019 को खारिज कर दिया गया था तथा प्रथम दृष्ट्या वादी का कोई केस नहीं पाया गया तथा न्यायालय द्वारा यह भी निर्णित किया गया कि वादी भूरेखां शुद्धहस्त से न्यायालय में नहीं आया है तत्पश्चात वादी द्वारा बेईमानी व कपटपूर्ण तरीके से उक्त वाद को एक तरफा में दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

07.9.2020 को विड्रा कर लिया गया व मौजूदा वाद प्रस्तुत कर दिनांक 02.11.2020 को एक तरफा में स्थगन प्राप्त कर लिया। जिसका विस्तृत जवाव प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां दिनांक 18.12.2020 को प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है तथा स्थगन आदेश जो एक तरफा में प्राप्त किया गया है, को वढाया जाता रहा है। गत दिनांक 05.03.2021 को जव प्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में उपस्थित हुए तो रीडर महोदय ने कहा कि उनकी फाईल खो गई है। इसलिये अव मुकदमें में सुनवाई नहीं होगी तथा स्थगन आदेश जारी रहेगा। उपरोक्त घटना से प्रार्थीगण के मन में यह भय पैदा हो गया है कि प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिलेगा। माननीय राजस्व मण्डल राज0अजमेर, उच्च न्यायालय राज0जयपुर द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में उक्त सिद्धान्त को माना है कि पक्षकारान के मन में न्याय के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिये तथा न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसरण में न्यायिक निर्णय पारित किया जाना चाहिये। उपरोक्त विषम परिस्थितियों में उक्त वाद को अन्य सक्षम न्यायालय के यहां मुन्तकिल फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी द्वारा पूर्व में एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी के बावत सहायक कलक्टर अलवर के न्यायालय में दायर किया, जिस वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0का भी प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से खारिज कर दिया। जिस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में अपील दायर की गई जो विचाराधीन थी। वादी ने दिनांक 7.9.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में उनवानी वाद भूराखां बनाम जुम्मी कौ आदेश 23 नियम 01 के तहत विड्रा कर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दिनांक 17.9.2020 को विड्रा करा लिया तथा दिनांक 02.11.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में भूरेखां बनाम कालूखां वगै0 का दावा मय प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय न्यायालय ने मौंके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। प्रतिवादीगण ने महज मुकदमें में देरी करने की नियत से गलत व मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में उक्त वाद में कार्यवाही विधिपूर्ण तरीके से चल रही है। दिनांक 5.3.2021 को पत्रावली वास्ते बहस नियत थी, उसके पश्चात दिनांक 19.03.2021 नियत की गई है। प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में देरी करने की नियत से दायर किया है जिस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा की टिप्पणी का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी का यह कथन गलत एवं काल्पनिक है। न्यायालय द्वारा निष्पक्ष एंव न्यायिक सिद्धान्तों के अनुरूप विधि प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्य किया जा रहा है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में यह अंकित किया है कि दिनांक 5.3.2021 को रीडर ने यह बताया कि उनकी फाईल खो गई है, इसलिये मुकदमें में कोई सुनवाई नहीं होगी, जबकि पत्रावली में संलग्न आदेशिका दिनांक 5.3.2021 के अनुसार पत्रावली न्यायालय जेरकार है इसके अतिरिक्त अन्य कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा ना ही किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत किये है, जिससे प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21–09–2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
प्रथम अलवर